PAGE - NO - 11

SICOM LIMITED

पंजीकृत कार्यालयः सॉलिटेयर कार्पोरेट पार्क, बिल्डिंग नं. 4, गुरु हरगोविन्दजी रोड, (अन्धेरी-घाटकोपर लिंक रोड), चकाला, अन्धेरी (पूर्व) मुम्बई-400093
टेलीफोन नं.: (022)66572700 वेबसाइटः www.sicomindia.com

सार्वजनिक नीलामी एवं बिक्री सूचना

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी) के अधीन सिकॉम लिमिटेड (SICOM LIMITED) (जिसका उल्लेख आगे "सिकॉम" के तौर पर किया गया है) का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी द्वारा सिकॉम (SICOM) की बकाया राशियों की वसूली के लिए **"जैसे है जहां है तथा जो कुछ है तथा बिना वसूली अधिकार आधार"** पर निम्नलिखित बंधक रखी गई संपत्ति के मामले में सिकॉम के मुंबई स्थित पंजीकृत कार्यालय में इच्छुक पार्टियों से 14 सितम्बर, 2017 को अप. 2.00 बजे प्रस्ताव/बोलियां आमंत्रित की जाती हैं।

कर्जदार/ गारंटर का नाम	स्वामी का नाम/ बंधककर्ता का नाम	संपत्ति का विवरण	सुरक्षित मूल्य	धरोहर राशि	31.07.2017 को सिकॉम की बकाया राशि, ब्याज तथा खर्चे
एमवीएल लि.	एमवीएल क्रेडिट होल्डिंग एण्ड लीजिंग लि.	सम्पूर्ण पहली मंजिल, एमवीएल आईपार्क, सेक्टर 15(ii), निकट 32वां मील का पत्थर, गुरुग्राम, हरियाणा (विगत में खसरा नं. 11/3/1/1,8/1/1/1,8/1/2,13/1), गांव सिलोखड़ा (Silokhara) गुरुग्राम में 1486.095 वर्ग मी. क्षेत्र की भूमि के अविभाजित अधिकार, स्वामित्व एवं हित सहित।	रु. 13.90 करोड़	रु. 1.40 करोड़	रु. 70,79,90,798/-

नीलामी के नियम एवं शर्तें:

1. नीलामी में भाग लेने के लिए, इच्छुक बोलीदाताओं को सिकॉम लिमिटेड(SICOM LIMITED) के पक्ष में मुम्बई में देय राष्ट्रीयकृत बैंक/अनुसूचित कमर्शियल बैंक के डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर के रूप में धरोहर राशि रु.1.40 करोड़ जमा करानी होगी, जो कि बोली के असफल/सिकॉम द्वारा अस्वीकृत होने की स्थिति में वापस लौटा दी जाएगी।
2. डीडी/पे आर्डर के रूप में अपेक्षित धरोहर राशि के बिना प्राप्त होने वाले प्रस्ताव अवैध समझे जाएंगे तथा ऐसे बोलीदाताओं को बोली प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
3. नीलामी के बाद पहले उच्चतम बोलीदाता तथा द्वितीय उच्चतम बोलीदाता की धरोहर राशि आगामी प्रक्रिया के लिए रोक ली जाएगी एवं इसके बाद के उच्चतम बोलीदाताओं की धरोहर राशि वापस लौटा दी जाएगी।
4. बोली रु. 1 लाख के गुणजों में लगाई जाएगी।
5. संपत्ति की बिक्री उपरोक्त सुरक्षित मूल्य से कम में नहीं की जाएगी।
6. संपत्ति की बिक्री **"जैसे है जहां है तथा जो कुछ है तथा बिना वसूली अधिकार आधार"** पर की जा रही है।
7. नीलामी बिक्री, बिक्री के नियम एवं शर्तों के अधीन होगी, जिसकी एक प्रति बोलीदाता सिकॉम लिमिटेड (SICOM LIMITED) के पंजीकृत कार्यालय या दिल्ली स्थित क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। यदि बोलीदाता नियम एवं शर्तों की प्रति नहीं प्राप्त करेंगे तो भी यह माना जाएगा कि उन्होंने प्राप्त कर ली है, पढ़ एवं समझ लिया है, उनकी जांच कर ली है तथा उन्हें स्वीकार कर लिया है।
8. प्राधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान एवं जानकारी के अनुसार सम्पत्ति पर कोई अन्य ऋणभार नहीं है। बोलीदाता उक्त सम्पत्ति के सम्बंध में किसी चार्ज, लिएन, करों तथा अन्य बकाया राशियों के बारे में सभी पक्षों से अपनी संतुष्टि कर लें। बोलीदाता को यह भी परामर्श दिया जाता है कि उक्त सम्पत्ति के बारे में अपनी यथोचित कोशिश कर लें। प्राधिकृत अधिकारी विक्रयाधीन सम्पत्ति के सम्बंध में किसी चार्ज, लिएन, ऋणभार, सम्पत्ति कर अथवा किसी की भी किसी बकाया राशि के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।
9. प्राधिकृत अधिकारी के पास बिना कोई कारण बताए बोली को स्वीकार अथवा निरस्त करने अथवा नीलामी को आगे बढ़ाने/स्थगित करने का पूर्ण अधिकार है।
10. सफल बोलीदाता को हस्तांतरण/बिक्री प्रमाणपत्र के लिए देय प्रभार/शुल्क जैसे कि स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क, अधिवक्ता का खर्च तथा सभी अन्य लागत, प्रभार एवं व्यय आदि, जो कि कानून के अनुसार लागू हों, का वहन करना होगा। यह क्रेता की जिम्मेदारी होगी कि वह आयकर अधिनियम की धारा 194 I A के अधीन आयकर से संबंधित बिक्री राशि की 1% राशि का भुगतान करे तथा सिकॉम की इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ऐसे आयकर का भुगतान सफल बोलादाता को ही सिकॉम को प्रस्तावित मूल्य के अतिरिक्त करना होगा तथा सिकॉम किसी भी प्रकार की कटौती के बिना सम्पूर्ण बोली मूल्य प्राप्ति करेगा।
11. यह सरफेसी एक्ट तथा उसके अंतर्गत नियमों के प्रावधानों के अनुसार नीलामी बिक्री आयोजित करने के बारे में उपरोक्त ऋण खाते के कर्जदार/गारंटर (गारंटरों) के लिए एक नोटिस भी है।
12. उच्चतम बोली की स्वीकृत सिकॉम लिमिटेड की स्वीकृति के अधीन होगी।
13. बिक्री सिकॉम की अभिपुष्टि के अधीन होगी।
14. सम्पत्तियों का निरीक्षण **केवल पहले से समय लेकर 22 अगस्त से 25 अगस्त, 2017** के मध्य किया जा सकता है।
15. सिकॉम के मुम्बई स्थित पंजीकृत कार्यालय में प्रस्ताव जमा कराने की अंतिम तिथि एवं समय **14 सितम्बर, 2017 को अप. 1.00 बजे** तक है।
16. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त की जाने वाली बोलियां 14 सितम्बर, 2017 को अप. 2.00 बजे खोली जाएंगी (सिकॉम के पंजीकृत कार्यालय, मुंबई में)। बोलीदाताओं को अपनी बोली में वृद्धि करने का अवसर दिया जाएगा।

बिक्री के अन्य विवरण तथा नियमों व शर्तों के लिए कृपया सम्पर्क करें:

(1) श्री संजय कुमार	फोनः (011) 23736738	मोबाइल नं. 9868020160
(2) श्री शत्रुघ्न कलावर	फोनः (022) 66572853	मोबाइल नं. 9869900073

कर्जदार/गारंटर को नोटिस

यह उपरोक्त खाते में कर्जदार/गारंटर के लिए नोटिस भी है। कृपया ध्यान दें कि उपरोक्तानुसार सिकॉम द्वारा प्रदान की गई अग्रिम राशि के सम्बंध में मासिक शेष, लागत तथा चार्जेज आदि के साथ ब्याज एवं बकाया राशि के भुगतान के मामले में आपने चूक की है। इसलिए सिकॉम ने धारा 13 (2) के अधीन आप सभी को डिमांड नोटिस जारी किए थे कि 60 दिन के भीतर उपरोक्त राशि का भुगतान कर दें। 60 दिन समाप्त होने के बाद भी आप इस राशि का भुगतान करने में असफल रहे हैं। इसलिए वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (4) के अधीन तथा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, गुरुग्राम के आदेशानुसार भी प्राधिकृत अधिकारी ने 28 फरवरी, 2017 को उपरोक्त खाते में प्रतिभूत परिसम्पत्ति का कब्जा प्राप्त कर लिया है।

एतद्द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि बिक्री के लिए निर्धारित तिथि से पूर्व उपरोक्त राशि का भुगतान कर दें अन्यथा सम्पत्ति को बेच दिया जाएगा तथा शेष बकाया राशि, यदि कोई हुई, ब्याज एवं लागत सहित आपसे वसूल की जाएगी। कृपया नोट करें कि डिमांड नोटिस, कब्जा प्राप्त करने, मूल्य निर्धारण तथा बिक्री आदि से सम्बंधित समस्त खर्चों की अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्राप्त की जाने वाली बिक्री राशि से कटौती पहले की जाएगी फिर बिक्री राशि की शेष राशि आपकी उपरोक्तानुसार देय बकाया ऋण राशि के लिए समायोजित की जाएगी। आप नीलामी के नियमों व शर्तों के अनुसार सार्वजनिक नीलामी सूचना में वर्णित धरोहर राशि जमा कराने सहित प्रस्ताव के साथ नीलामी में भाग लेने के लिए स्वतंत्र हैं।

हस्ता./-
प्राधिकृत अधिकारी
सिकॉम लि.

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 12 अगस्त, 2017